

नहीं किया जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1978 से अब तक 56,000 रुपये की धनराशि का दुरुपयोग किया गया है;

(ख) क्या उपयुक्त धनराशि के दुरुपयोग के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा भी अपने प्रतिवेदन में बार-बार टिप्पणियाँ की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

**निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) :** (क) दिल्ली जल प्रदाय एवम् व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि संस्थान के कर्मचारियों का भविष्य निधि अंशदान उनके वेतन बिलों से काटा जाता है तथा चैकों के माध्यम से डाक घर में जमा किया जाता है जहाँ कि भविष्य निधि लेखों का लेखाजोखा रखा जाता है।

(ख) और (ग) संस्थान के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित 56,000 रुपये की राशि, शायद कामगारों में जी०-८ रसीदों के माध्यम से जल प्रभागों की वसूली की कम जमा के बारे में 1978-79 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए गए पैराग्राफ से सम्बन्धित है। संस्थान ने सूचित किया है कि इस मामले में शामिल कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है तथा पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। पुलिस से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

**जल प्रदाय और मल व्ययन संस्थान को ऋण**

1302. श्री निहाल सिंह : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार ने जल सप्लाई और मल व्ययन संस्थान को 1978-79 से 1983-84 के वर्षों के दौरान कितनी धनराशि दी तथा इसमें से कितनी धनराशि ऋण के रूप में दी गई;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त ऋण किन शर्तों पर दिया गया तथा क्या उन शर्तों के अनुसार सरकार को ऋण की किस्तों की अदायगी की जा रही है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा उक्त संस्थान पर ऋण और व्याज की कितनी धनराशि बकाया है; और

(ग) क्या यह सच है कि गत पांच वर्षों के दौरान किया गया खर्च उसे प्राप्त आय से अधिक है, यदि हां, तो आय से अधिक व्यय किये जाने के क्या कारण हैं ?

खेल विभाग में निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**Completion of Subarnarekha Project**

1303. SHRI CHINTAMANI JENA : Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether the inter-State Subarnarekha multipurpose scheme is badly delayed for its completion;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether the State Governments of West Bengal, Bihar and Orissa have agreed to implement the scheme;

(d) if so, the details of the scheme; and

(e) whether the World Bank assistance was sought to execute the scheme; if so, the reaction of the World Bank and the progress made in this regard ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : (a) to (e) Subarnarekha multipurpose project estimated to cost Rs. 480.90 crores envisages the construction of two dams, one across river Subarnarekha at Chandil and the other across river Kharkai at Icha; two barrages one across river Subarnarekha at Galudih and the other across river Kharkai at Ganjia and canals taking off from the above structures all located in Bihar to provide annual irrigation to an area of 2,41,873 ha. (5,97,426 acres) in Singhbhum District of Bihar. In addition to this, storage has been provided in the reservoirs at Chandil and Kharkai to provide irrigation and flood control benefits to the States of West Bengal and Orissa. The storage in Icha Reservoir will also provide irrigation to the areas in Orissa. The project will supply 740.66 M. CM (0.6 M.A.F.) of water for municipal and industrial purposes in Bihar. Orissa and West Bengal have separate Projects for works in their States.

There has been some delay in the implementation of the Inter-State Subarnarekha multi-purpose scheme of Bihar mainly due to non-availability of forest land and short supply of cement and to some extent financial constraints. These difficulties have since been sorted out and the project works are proceeding.

The scheme has been formulated and taken up for implementation as per the decisions arrived at in the tripartite agreement reached between the Governments of Bihar,